राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

भरत सिंह झाला (मृत) श्री नाथू सिंह के पुत्र, कानूनी आकाओं और ए. एन. आर. के माध्यम से।

(2022 की सिविल अपील संख्या 6942)

/

30 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-एस.10, 33(2)(ख) बर्खास्तगी-टिकट की राशि एकत्र करने के बाद भी टिकट जारी नहीं करने के लिए कर्मचारी-संचालक (मृत होने के कारण) के खिलाफ विभागीय जांच-2001 में समाप्त-औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 2015 में स्वीकृत समाप्ति का आदेश-बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की तारीख से लगभग 19 साल की अवधि के बाद, कर्मचारी ने फिर से औद्योगिक विवाद उठाया, श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और 2018 में उनकी मृत्यु की तारीख से 50 प्रतिशत वेतन वापस देने का आदेश पारित किया-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर कहा गया:एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई और प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायालय के समक्ष कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई और साक्ष्य की सराहना पर समाप्ति के आदेश को मंजूरी दी गई, उसके बाद नए संदर्भ यू/एस।10 समाप्ति के आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं थी-औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित 2015 का आदेश, जो श्रम न्यायालय की तुलना में एक उच्च मंच है, ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी-हालांकि उपरोक्त तथ्य को उच्च न्यायालय के समक्ष इंगित किया गया था, लेकिन उसने इस पर विचार नहीं किया-औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पक्षों के बीच बाध्यकारी थे-औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत श्रम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता था-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को दरकिनार कर दिया गया।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया :कर्मचारी को विभागीय जांच के अधीन किया गया था और मृतक कर्मचारी के खिलाफ आरोप **10** यात्रियों को टिकट जारी नहीं कर रहा था, हालांकि उसने किराया एकत्र किया था।विभागीय जांच के समापन पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।समाप्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अनुमोदन आवेदन का विषय था

/

276 ए.

277

आर. एस. आर. टी. सी. बनाम भरत सिंह झाला (मृत) श्री नाथू सिंह के पुत्र, कानूनी आकाओं ए के माध्यम से

आई. डी. अधिनियम की धारा **337 (2) (**बी**)** के अंतर्गत आवेदन। उक्त कार्यवाही में प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप/कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई थी।उक्त आवेदन में पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य का नेतृत्व किया।इसके बाद अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक **21.07.2015** के आदेश द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दी।कि इसके बाद श्रमिक ने समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए औद्योगिक विवाद उठाया जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक **21.07.2015** के आदेश द्वारा साबित किया गया था।इसलिए, एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई और प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायालय के समक्ष कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई और उसके बाद साक्ष्य की सराहना पर समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई, उसके बाद समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाले आई. डी. अधिनियम की धारा **10** के अंतर्गत नए संदर्भ की अनुमति नहीं थी।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक **1** दिनांकित आदेश, जो श्रम न्यायालय की तुलना में एक उच्च मंच है, ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी।यद्यपि उपरोक्त तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष इंगित किया गया था, उच्च न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या इसकी सराहना नहीं की है और समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए के लिए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय की पुष्टि की है, जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित

किया गया था।वर्तमान मामले में विशिष्ट आदेश द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण ने प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायालय के समक्ष कदाचार को साबित करने की अनुमति दी, जो कि अनुज्ञेय था।कि उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण ने समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी।एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई, तो उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पक्षों के बीच बाध्यकारी थे।औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत श्रम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता था।श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया निर्णय अस्थिर है।उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि करने वाली रिट याचिका/रिट अपील को खारिज करने में बहुत गंभीर गलती की है।श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश

/

/

/

/

/

/

/

समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए और समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है **[**पैरा **5.1,5,6** और **7] [280-**एफ**-**एच**; 281-**ए**-**एच**; 282-**ए**]**

जॉन डिसूज़ा बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन

निगम (2019) 14 स्केल 57-लागू नहीं होने वाला मामला विधि संदर्भ

/

(2019) 14 स्केल **57** अप्रयोज्य पैरा **4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 6942।

/

2020 के डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 645 में जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 12.08.2021 से।

डॉ. रितु भारद्वाज, सचिन मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।एच. डी. थानवी, अचल सिंह बुले, निखिल कुमार सिंह, ऋषि मटोलिया, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. डी. बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 2020 में जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और दिनांक (आईडी2) के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारी के खिलाफ पारित समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए कर दिया गया है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

/

2.1 कर्मचारी कंडक्टर के पद पर कार्यरत था।उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने टिकट की राशि एकत्र करने के बावजूद 10 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किया।विभागीय जांच में उन्हें कथित कदाचार के लिए दोषी पाया गया। नियोक्ता-राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने 31.07.2001 दिनांकित आदेश के माध्यम से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया।

/

279

आर. एस. आर. टी. सी. बनाम भरत सिंह झाला (मृत) श्री नाथू सिंह के पुत्र, कानूनी आकाओं के माध्यम से [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

2.2 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "आई. डी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत दंड आदेश के अनुमोदन के लिए एक आवेदन औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष 31.07.2001 पर प्रस्तुत किया गया था।औद्योगिक न्यायाधिकरण ने जांच को खराब माना।हालांकि, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 12.12.2012 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी-निगम को न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप साबित करने की अनुज्ञात ।दोनों पक्षों ने कथित आरोपों पर न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य का नेतृत्व किया।अपीलार्थियों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों का नेतृत्व किया।कि अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना और दोनों पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत आवेदन की अनुज्ञात और समाप्ति के आदेश की मंजूरी दी। इसके बाद और समाप्ति के आदेश को पारित करने की तारीख से लगभग 19 साल की अवधि के बाद, कर्मचारी ने 2001 के समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से औद्योगिक विवाद उठाया।श्रम न्यायालय , जयपुर ने दिनांक 19.11.2019 के निर्णय और पुरस्कार द्वारा उक्त संदर्भ की अनुज्ञात और समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया।चूंकि इस बीच कर्मचारी की मृत्यु हो गई और 19 साल की अवधि के बाद विवाद उठाया गया, इसलिए श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी की तारीख से उनकी मृत्यु तक 50 प्रतिशत वेतन वापस करने का आदेश पारित किया।श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।रिट याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपीलार्थी ने खंड पीठ के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

/

/

/

/

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने वाली रिट अपील/रिट याचिका को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत एक आवेदन में और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी को साक्ष्य का नेतृत्व करने और आरोप/कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दी गई थी, तो उसके बाद श्रमिक के लिए औद्योगिक विवाद को फिर से उठाने की अनुमति नहीं थी, वह भी

19 साल की अवधि के बाद।यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान श्रम द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है

/

/

/

280

/

[2022] 7 एस सी आर।

न्यायालय ने समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए कर दिया और रद्द कर दिया, जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21.07.2015 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था।3.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

4. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एच. डी. थानवी ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

/

4.1 जॉन के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

डिसूज़ा बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, (2019)

14 स्केल 57, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) और धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही अलग और अलग हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेते समय दर्ज किए गए निष्कर्ष आई. डी. अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत एक संदर्भ में मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे।

/

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, श्रम न्यायालय ने समाप्ति के आदेश की वैधता पर विचार करने और उसके बाद उसे रद्द करने और अपास्त करते हुए और 50 प्रतिशत वेतन वापस करने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की।

/

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिक की मृत्यु हो गई है और उसकी उत्तराधिकारी-विधवा को केवल 50 प्रतिशत वेतन दिया जाता है, इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

5.1.शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कर्मचारी की विभागीय जांच की गई थी और मृतक कर्मचारी के खिलाफ आरोप 10 यात्रियों को टिकट जारी नहीं कर रहा था, हालांकि उसने किराया एकत्र किया था।विभागीय जांच के समापन पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अंतर्गत एक आवेदन में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अनुमोदन आवेदन की समाप्ति विषय वस्तु थी। उक्त कार्यवाही में प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप/कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई थी।उक्त आवेदन में पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य का नेतृत्व किया।इसके बाद ए पर साक्ष्य की सराहना पर

/

/

281

आर. एस. आर. टी. सी. बनाम भरत सिंह झाला (मृत) श्री नाथू सिंह के पुत्र, कानूनी आकाओं के माध्यम से [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रिकॉर्ड, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 21.07.2015 के आदेश द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दी।कि इसके बाद श्रमिक ने समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए औद्योगिक विवाद उठाया जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21.07.2015 के आदेश द्वारा साबित किया गया था।इसलिए, एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई और प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायालय के समक्ष कदाचार को साबित करने की अनुमति दी गई और उसके बाद साक्ष्य की सराहना पर समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई, उसके बाद समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाले आई. डी. अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नए संदर्भ की अनुमति नहीं थी।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि औद्योगिक

न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 दिनांकित आदेश, जो श्रम न्यायालय की तुलना में एक उच्च मंच है, ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी।यद्यपि उपरोक्त तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष इंगित किया गया था, उच्च न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या इसकी सराहना नहीं की है और समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए के लिए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय की पुष्टि की है, जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

/

/

/

5.2 अब जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जॉन डिसूजा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, तथ्यों पर उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।वर्तमान मामले में विशिष्ट आदेश द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण ने प्रबंधन को साक्ष्य का नेतृत्व करने और न्यायालय के समक्ष कदाचार को साबित करने की अनुमति दी, जो कि अनुज्ञेय था।कि उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण ने समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी।एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर समाप्ति के आदेश को मंजूरी दे दी गई, तो उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पक्षों के बीच बाध्यकारी थे।औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत श्रम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता था।

/

/

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया निर्णय अस्थिर है।उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि करने वाली रिट याचिका/रिट अपील को खारिज करने में बहुत गंभीर गलती की है।

/

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान अपील सफल होती है।श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश

/

/

[2022] 7 एस सी आर।

समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए और समाप्ति के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।

वर्तमान अपील की उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात ि है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/